Need to resolve the problems of land holders whose land have been acquired by CCL in Chatra Parliamentary Constituency.-laid

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा):मैं चतरा लोकसभा अन्तर्गत कार्यरत सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की आम्रपाली एवं मगध परियोजना अन्तर्गत भू-रैयतों की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। भू-रैयतों को सी.सी.एल. द्वारा बार-बार सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया गया और न ही इसके लिए कोई प्रयास हो रहा है। अतः कोयला मंत्री जी आग्रह करता हूँ कि सी.सी.एल. से निम्नलिखित का बिन्दुवार जवाब मांगा जायें-

सी.सी.एल. के द्वारा चतरा एवं लातेहार जिला के कितने ग्राम में कुल कितनी भूमि का अधिग्रहणकिया गया है?

प्रत्येक गाँववार कुल कितनी भूमि (रैयती, सरकारी एवं वनभूमि) का अधिग्रहण प्रस्तावित है ?

सी.सी.एल. द्वारा विभिन्न परियोजनाओं द्वारा कुल कितनी भूमि (रैयती, सरकारी एवं वनभूमि) मेंउत्खनन का कार्य किया जा रहा है?

RFCTLARR Act 2013के तहत प्रत्येक गांव की भूमि का मुआवजा का निर्धारण कितना किया गयाहै? अधिग्रहीत गॉव की सूची निर्धारित एवं दी गई राषि के साथ विस्तृत विवरण उपलब्ध करायें।

प्रत्येक अधिग्रहीत गांव की भूमि के विरूद्ध कुल कितने लोगों नौकरी प्रदान की गई?

भूमि अधिग्रहण के पश्चात् कुल कितने ऐसे लाभार्थी है जिन्हें अभी तक सिर्फ मुआवजा मिला है, नौकरी नहीं मिली है तथा जिन्हें नौकरी मिली है, परन्तु मुआवजा नहीं मिला हैं?

क्या भारत सरकार की नई पॉलिसी RFCTLARR Act 2013के तहत भूमि का मुआवजा मूल्य से चारगुणा तक करना है? अगर हां तो अब तक चतरा और लातेहार जिला में कार्यरत सी.सी.एल.आम्रपाली, मगध परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक गांव जहाँ भूमि अधिग्रहण किया गया है कुल कितनेलाभार्थी को उक्त निर्धारित राशि के अनुसार भुगतान किया गया है?

क्या विस्थापित हुए लाभार्थियों के बीच CILANNUITY SCHEME, 2020का अनुपालन किया जा रहा है? अगर हां, तो लाभार्थियों की संख्या गांव वार उपलब्ध कराई जाय तथा इस वित्तीय वर्ष में अब तकइस योजना के तहत कुल कितनी राशि का वितरण किया गया?

ग्रामीणों द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि सी.सी.एल. प्रबंधन द्वारा CBA Act 1952को मानने केलिए मजबूरकिया जाता है अगर नहीं तो लाभार्थियों के साथ इकरारनामा सिर्फ इसी पॉलिसी केतहत क्यों है?

). सी०सी०एल० द्वारा अधिग्रहीत भूमि के रैयतों के पुनर्वास और मुआवजा से सम्बंधित दावों कानिपटारा कब तक पूर्ण होगा और इससे सम्बन्धित पुनर्वास और मुआवजा की व्यापक नीति क्या है?